मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स,

(फैक्स नम्बर–0522–2288824, ई–मेल आई0डी0– logisticoffice4@gmail.com)

संख्याः लाजि0/एम0टी0–102/2022 दिनांकःलखनऊः नवं0 ,2022

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी–चार–125(14)2018 अधियाचन दिनांक 17.11.2022 के साथ प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र सं0 पीआरपीबी–चार–12(26)–2022 दिनांक 11.11.2022 द्वारा द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष 2022 तक की 195 रिक्तियों को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा दिनांक 31.03.2022 द्वारा शासनादेश संख्या–13/ 21/ 89–का–11997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत 10 बन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति के अन्तिम निस्तारण तक उसके लिये सुरक्षित 10 पद के सापेक्ष काम चलाउ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से मुख्य आरक्षी चालक के पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित **आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिए प्रदान की जाती है**। यह काम चलाउ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक जो भी पहले हो, तक के लिए ही होगी। इन कर्मियों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

SL NO	SIN NO	PNO	NAME	FOTHER NAME	RANK	PARSENT POSTING
1	248	960480876	अन्जुल कुमार	विश्वनाथ सिह यादव	आरक्षी चालक	झॉसी
2	249	920680320	राजवीर सिंह	फतेह सिंह	आरक्षी चालक	कमि0 लखनऊ
3	250	980770274	शिवजीत सिंह यादव	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	आरक्षी चालक	फतेहपुर
4	251	980710757	मनोज कुमार सिंह	रामरतन सिंह	आरक्षी चालक	इटावा
5	252	982410343	शैलेन्द्र सिंह	स्व0 राजाराम	आरक्षी चालक	भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ
6	253	910710597	देवेन्द्र कुमार	भूपाल सिंह	आरक्षी चालक	गाजियाबाद

2– उक्त पदोन्नति काम चलाउ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिए ही होगी।

3– मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को आरक्षी चालक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4– स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप ''क'' में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–11997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित आरक्षी चालक के विरूद्ध विद्यमान न हो।

5— यदि स्व0 हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखा में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाय।

6— यदि संबंधित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर **up police-police units-Logistics-circular-For latest circular Click here-Go to circular Archive** में अपलोड कर दिया गया है।

21/11/2022

(बालेन्दु भूषण सिंह)
पुलिस उप महानिरीक्षक,
निमि0 पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई/वाहिनी में नियुक्त उपरोक्त आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशो के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें तथा इनकी चरित्रपंजिका प्राप्त करने हेतु अपने–अपने जनपद/ इकाई से विशेषवाहक भेजकर एक सप्ताह के अन्दर चरित्रपंजिका प्राप्त करने का कष्ट करें।

(1) **पुलिस आयुक्त** — कमिश्नरेट लखनऊ।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ।
(3) **पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**—झॉसी/इटावा/फतेहपुर/गाजियाबाद

स्व-घोषणा-पत्र

मैं_____(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र_____ निवासी_____थाना_____जनपद_____वर्तमान में (जनपद / इकाई का नाम) _____नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(ख) रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिय जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा- पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रुप से होशोहवास में बिना किसा दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रुपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली -1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोंग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद /इकाई_____में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक_____को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 _____धारा _____थाना_____ जनपद _____में लम्बित है, जिसमें दिनांक _____को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी _____द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/ पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा- पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।